

:- सर्वप्रथम के लिये -

84/2022

अमम चाहते हैं/ समय दिया जाता है पत्रावली आईया दिनांक 29/11/22 से वास्ते पत्रावली पेश की

श्री. न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

उक्त उद्देश्य के लिए पत्र में दी गई पत्रावली के माध्यम से आपकी  
सहयोगिता की अपेक्षा है जिससे प्रत्येक पत्रावली के उक्त पत्र  
जिसे संलग्न है

23/11/2022

29/11/2022  
पत्रावली पेश हुई/वकील जार्जी, जार्जी जग ही ओर ले उपस्थित/वकील अजार्जी  
उपस्थित हैं/ वकील जार्जी द्वारा पत्रावली में कथन किये गये कि उद्देश्य में वादी  
व उल्लिखित गणों के मध्य राजीनामा/ सहमति दी चुकी है/ वादी गण पत्रावली  
पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं/ अतः पत्रावली पर कार्यवाही समाप्त की  
जावे/ वकील जार्जी द्वारा पत्रावली आदेशिका पर आ.पत्र अन्तर्गत 212  
श. का अधि. विही किये जाने बाबत रिप्लायी ऑर्डर की/ वकील जार्जी  
से सुना गया/ जार्जी वकील पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं/  
ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह  
जाती है/ अतः वकील जार्जी द्वारा पत्रावली आदेशिका पर  
ऑर्डर रिप्लायी तथा मौखिक दुपत्तों को स्वीकार किया जाकर पत्रावली  
पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है/ पत्रावली के जलशुमार  
के। नम्बर के कम होकर लखिल हफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर) राज